

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1303/2008/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए,  
भिवाड़ी।

...अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स कामधेनु इस्पात लिमिटेड भिवाड़ी।

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष  
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री अलकेश शर्मा  
अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.09.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, विभाग भरतपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या - 1288 / उपा-भरत / 2000-01 / आरएसटी / भिवाड़ी आदेश दिनांक 16.11.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त भिवाड़ी (जिन्हें आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2000 को निरस्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी को कर मुक्ति योजना, 1987 के अन्तर्गत 01.11.1995 से 31.10.2002 तक के लिये 161.50 लाख रु० की शीशे जिला स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय दिनांक 15.11.1995 द्वारा स्वीकृत की गई, जिसे समिति के निर्णय दिनांक 09.02.1999 द्वारा संशोधित कर 171.50 लाख रु० की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्र दिनांक 27.06.2000 द्वारा प्रत्यर्थी को सूचित किया कि व्यवहारी को जारी प्रमाण पत्र में कर मुक्ति योग्य विनियोजन राशि रुपये 171.50 लाख का प्रमाण पत्र जारी किया गया था परन्तु उक्त राशि के 90 प्रतिशत के बराबर लाभ देय होने के कारण इसे 154.35 लाख रुपये को जाती है तथा कर मुक्ति की अधिकतम सीमा 154.35 लाख रु० मानते हुये उसका उपभोग करें। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि एक बार प्रदत्त किया गया लाभ वापस नहीं लिया जा सकता।

लगातार.....2


3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
4. राजस्व की ओर से कथन है कि प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने छानबीन समिति के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया है व न ही कोई लाभ कम किया है बल्कि जो लाभ देय था उसे स्पष्ट किया है।
5. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में जारी प्रमाण पत्र में संशोधन समय सीमा के पश्चात किया है तथा एक बार प्रदत्त लाभ वापिस नहीं लिया जा सकता। इन्होंने अपने समर्थन में (2000)119 एस.टी.सी. 14 बिडला जूट बनाम स्टेट ऑफ एम.पी, 119 एस.टी.सी. 14, 99 एस.टी.सी. 584 व 11 टी.यू.डी 297 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। इन्होंने राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
7. विचाराधीन प्रकरण में DLSC द्वारा निर्णय दिनांक 15.11.1995 से 161.50 लाख रु0 व संशोधन निर्णय दिनांक 09.02.1999 द्वारा 171.50 लाख रु0 के विनियोजन पर करमुक्ति स्वीकृत की गई थी। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के पत्रावली के पृष्ठ संख्या 14 पर उपलब्ध पर कर मुक्ति प्रमाण पत्र फार्म-बी दिनांक 18.11.1995 को जारी किया गया है, जिसमें 161.50 लाख रु0 अंकित है। संशोधन के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, भिवाडी के पत्र दिनांक 09.09.1999 के आधार पर इसे 171.50 लाख रुपये अंकित किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्र दिनांक 27.06.2000 द्वारा प्रत्यर्थी को यह लिखते हुये सूचित किया है कि कर मुक्ति की अधिकतम सीमा 154.35 लाख रु0 ही मानते हुये उसका उपभोग करें। इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि कर मुक्ति प्रमाण पत्र में अंकित अधिकतम सीमा 171.50 लाख से घटाकर 154.35 लाख रुपये की जाती है। DLSC के निर्णय की प्रति के अनुसार स्वीकृत विनियोजन 161.40 लाख के स्थान पर 171.40 लाख रु0 किया गया है। राजस्थान विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1987 के अनुसार DLSC द्वारा यूनिट को प्रपत्र ए में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर पात्र घोषित किया जाकर देय लाभों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रपत्र बी में Fixed Capital Investment पूर्व में 161.50 लाख रु0 व बाद में संशोधित 171.50 लाख रु0 किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रपत्र बी में Fixed Capital Investment का ही उल्लेख है न कि विक्रय कर में छूट का। प्रोत्साहन योजना के बिन्दु

संख्या 4 के अनुसार विक्रय कर में छूट व छूट की अवधि Annexure-C के अनुसार होगी। Annexure-C के अनुसार मीडियम व लार्ज स्केल यूनिट के लिये Fixed Capital Investment की 90 प्रतिशत राशि कर छूट का प्रावधान है। प्रकरण में Fixed Capital Investment 171.50 लाख रु० का 90 प्रतिशत 154.35 लाख रु० बनता है तथा कर निर्धारण अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 27.06.2000 द्वारा व्यवहारी को यही सूचित किया है कि कर मुक्ति की अधिकतम सीमा 154.35 लाख रु० का मानते हुये ही उपभोग करें। इस प्रकार स्थिती यह बनती है कि DLSC यूनिट को Exemption Certificate जारी करती है तथा उसमें अंकित विनियोजन राशि पर Annexure-C के अनुसार विक्रय कर में छूट देय होती है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसी अनुरूप छूट प्रदान की है तथा DLSC द्वारा प्रारित निर्णय में न तो कोई संशोधन किया है व न ही दिया गया लाभ वापिस लिया है। इस संबंध में व्यवहारी ने जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये है वे इस बिन्दु बाबत है कि दिया गया लाभ वापिस नहीं लिया जा सकता जबकि इस प्रकरण में कोई ऐसा लाभ वापिस नहीं लिया गया है जो पूर्व में यूनिट को दे दिया गया हो।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(नरेश्वर)  
सदस्य

  
( वी.श्रीनिवास)  
अध्यक्ष